(7)	
Castes or Scheduled Tribes, if at any stage of selection the Staff Selection Commission or Central Government is of the opinion that the sufficient number of candidates with requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.	

Method of recruitment : Whether by direct recruitment or promotion or deputation/absorption, and percentage of vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/absorption grades from which promotion/deputation/absorption is to be made
(10)	(11)
100% by direct recruitment.	Not applicable

If Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
Departmental Promotion Committee Group 'C' (for confirmation) consisting of : 1. Joint Director, Central Water and Power Research Station, Pune, —Chairman 2. Chief Research Officer, Central Water and Power Research Station, Pune —Member 3. A Group 'A' Officer from some other Central Government Department. —Member	Not applicable.

[F. No. 2/2/2003-E-II]

S. K. KATARIA, Under Secy.

नई दिल्ली, 30 अप्रैल, 2013

सा.का.नि. 118.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान केन्द्र, पुणे, सहायक तकनीकी सेवा, (पुस्तकालय कर्मचारी वृंद) भर्ती नियम, 1983 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, जल संसाधन मंत्रालय के केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान केन्द्र, पुणे में पुस्तकालय और सूचना सहायक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम जल संसाधन मंत्रालय, केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान केन्द्र, पुणे, पुस्तकालय और सूचना सहायक समूह 'ख' पद भर्ती नियम, 2013 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. पद संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान.—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि.—भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता.—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग ग्रेड के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पुस्तकालय और सूचना सहायक	*13 (2013) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड-2, 9,300—34,800 रु. (ग्रेड वेतन 4200 रु.	लागू नहीं होता	30 वर्ष से अधिक नहीं **टिप्पण 1 :** केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों और आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। **टिप्पण 2 :** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू कश्मीर राज्य के लद्याख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(7)	(8)	(9)
(1) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से बैचलर डिग्री ; और (2) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से पुस्तकालय विज्ञान में बैचलर डिग्री । **टिप्पण 1 :**-अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। **टिप्पण 2 :**-अनुभव संबंधी अर्हता उन कारणों के लिए लेखबद्ध किए जाएं कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित	लागू नहीं होता	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष

(7)	
जातियों/अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।	

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।
(10)	(11)
सीधी भर्ती द्वारा। **टिप्पण 1 :** पदधारी की प्रतिनियुक्ति या लम्बी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों के अधीन एक वर्ष या उससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारियों से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेगी : (क) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए है (ख) जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अर्हताएं अनुभव हैं। **टिप्पण 2 :** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख का 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 3 :** विद्यमान सभी पदधारी जो इन नियमों के प्रकाशन की तारीख को ज्येष्ठ पुस्तकालय और सूचना सहायक (तत्कालीन पुस्तकालय अध्यक्ष श्रेणी I) और पुस्तकालय और सूचना सहायक (तत्कालीन पुस्तकालय अध्यक्ष श्रेणी II पुस्तकालय अध्यक्ष श्रेणी III) के पद पर नियुक्त थे पुस्तकालय और सूचना सहायक के पद पर नियुक्त किए गए समझे जाएंगे।	लागू नहीं होता

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने के लिए परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(12)	(13)
समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :- 1. निदेशक, केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान केन्द्र, पुणे —अध्यक्ष 2. निदेशक/उपसचिव, जल संसाधन मंत्रालय —सदस्य 3. मुख्य अनुसंधान अधिकारी, केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान केन्द्र, पुणे —सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है ।

[फा. सं. 17/1/2010-ई-II]

एस. के. कटारिया, अवर सचिव

New Delhi, the 30th April, 2013

G.S.R. 118.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Central Water and Power Research Station, Pune Auxiliary Technical Services (Library Staff), Recruitment Rules, 1983, except as respect things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Library and Information Assistant in the Ministry of Water Resources, Central Water and Power Research Station, Pune, namely :—

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Ministry of Water Resources, Central Water and Power Research Station, Pune, Library and Information Assistant, Group 'B' post Recruitment Rules, 2013.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification, pay band and grade pay or pay scale.-—The number of said post, its classification, pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.—The method of recruitment to the said post, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification.—No person.—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.-— Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Savings.— Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-servicemen and other special categories of persons in.accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Pay Band and Grade Pay/ Pay Scale	Whether selection post or non-selection post	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Library Information Assistant	13* (2013) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted Non-Ministerial	PB-2 of ₹ 9300-34800 with (Grade Pay of ₹ 4200)	Not applicable	Not exceeding 30 years. (**Note 1.** Relaxable for Government servants up to 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time). **Note 2.** The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing

(6)
date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep).

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(7)	(8)	(9)
(1) Bachelor's Degree from a recognized University; and (2) Bachelor's Degree in Library Science from a recognized University; **Note 1 :** Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission for reasons to be recorded in writing, in case of candidates otherwise well qualified. **Note 2 :** The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes, if at any stage of selection the Staff Selection Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.	Not applicable	Two years for direct recruits.

Method of recruitment : Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion / deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made
(10)	(11)
By direct recruitment : **Note 1:** Vacancies caused by the incumbents being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of Central Government:	Not applicable

(10)
(a) (i) holding analogous posts on regular basis; or (b) Possessing the Qualification and experience for direct recruitment under column (7), **Note 2 :** The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 year as on the closing date of receipt of applications. **Note 3 :** All the existing incumbents who were appointed to the Post of Sebior Library and Information Assistant (Erstwhile Lirbrarian GR.I) and Library and Information Assistant (Erstwhile Lirbrarian GR.II and Lirbrarian GR.III) shall be considered to be deemed to have been appointed to the post of Library and Information Assistant with effect from the dated of notification of these rules.

If a Board of Assessment Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
Group 'B' Departmental Promotion Committee for confirmation, consisting of : 1. Director, Central Water and Power Research Station, Pune —Chairman 2. Director/Deputy Secretary, Ministry of Water Resources —Member 3. Chief Research Officer Central Water and Power Research Station, Pune —Member	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

[F. No. 17/1/2010-E-II]

S. K. KATARIA, Under Secy.

नई दिल्ली, 2 मई, 2013

सा.का.नि. 119.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जल संसाधन मंत्रालय, राष्ट्रीय जल मिशन सचिवालय में सलाहकार (तकनीकी) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(I) इन नियमों का संक्षिप्त नाम जल संसाधन मंत्रालय, राष्ट्रीय जल मिशन सचिवालय (तकनीकी सलाहकार समूह 'क') पद भर्ती नियम, 2013 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. पद संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन तथा वेतनमान.—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उनके वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं, आदि.—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. निरर्हता.—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या